



2026: AHC: 51486-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 3950/2026

नसीब अली एवं अन्ययाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिपक्षी

याची के अधिवक्ता : अबू सोफियान उस्मानी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता, संदीप कुमार दुबे

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, प्रतिपक्षी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार दुबे को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. कुछ तर्कों के बाद, याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने बार (न्यायालय) के समक्ष यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रतिपक्षी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

13 मार्च, 2026

नदीम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।